Ombudsman
Fairness for all

अक्षम लोगों से निश्पक्ष व्यवहार

अक्षमता संधिपत्र क्या है?

अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राश्ट्र संधिपत्र, एक अंतर्राश्ट्रीय मानवाधिकार समझौता है, जिस पर न्यूजीलैण्ड ने 2007 में हस्ताक्षर किए

सभी अक्षम व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान उपभोग को बढ़ावा देना, संरक्षित करना, और सुनिष्चित करना, इस संधिपत्र (संविद) का उद्देष्य है।

विकलांगता संधिपत्र की निगरानी

समझौते के क्रियान्वन में प्रगति 'को बढावा देने, संरक्षित करने तथा निगरानी करने' के लिए राज्यों को एक या अधिक स्वतंत्र प्रणालियां अपनानी होंगी।

न्यूजीलैण्ड में तीन स्वतंत्र प्रणालियां हैं:

- न्यूजीलैण्ड समझौता सम्मिलन (अक्षम लोगों के राश्ट्रीय संगठनों का एक समूह)
- मानव अधिकार आयोग
- लोकपाल (ऑम्बड्समैन)

स्वतंत्र प्रणालियां निम्न हेतु मिल–जुलकर कार्य करती हैं:

- संधिपत्र के क्रियान्वन की निगरानी हेतु रूपरेखा विकसित करने के लिये
- अक्षम लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषिश्ट मसलों का पक्षसमर्थन करने के लिये
- अक्षम लोगों को प्रभावित करने वाले कानूनों, नीतियों और विधियों पर सलाह देने के लिये
- संयुक्त राश्ट्र तथा संसद को रिपोर्ट करने के लिये

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) की क्या भूमिका है?

लोकपाल (ऑम्बड्समैन), राज्य सेक्टर की एजेंसियों के ऐसे प्रषासकीय व्यवहार संबंधी षिकायतों की जांच कर सकता है जो अक्षम लोगों को प्रभावित करता हो

किसी षिकायत की जांच करते समय लोकपाल (ऑम्बड्समैन) इस पर विचार करता है कि क्या एजेंसी ने यथोचित रूप में तथा निश्पक्षतापूर्वक कार्य किया है या नहीं। इसमें यह भी देखा जाना षामिल है कि क्या एजेंसी द्वारा संधिपत्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है या नहीं।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) स्वतंत्र रूप से तथा भेदभावरहित ढंग से कार्य करता है तथा तर्कसंगत समाधानों की सिफारिष इसका ध्येय है। लोकपाल (ऑम्बड्समैन) प्रत्येक षिकायत की जांच नहीं करता है, और यह अवष्य सिद्ध किया जाना चाहिए कि उन्हें जांच की षक्ति प्राप्त है तथा यह कि जांच किया जाना अनिवार्य है।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) बिना षिकायत प्राप्त किए भी जांचें षुरू कर सकता है, विषेशकर यदि व्यापक महत्त्व का कोई मसला उपस्थित हो जिसका समाधान किया जाना आवष्यक हो।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

यदि आपको विष्वास है कि राज्य सेक्टर की किसी एजेंसी ने अतर्कसंगत ढंग से या पक्षपातपूर्वक कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे विकलांग व्यक्ति प्रभावित हुआ है, तो आप फोन, ईमेल, पत्र या फैक्स के माध्यम से लोकपाल (ऑम्बडसमैन) से संपर्क कर सकते हैं (विवरण पीछे देखें)

यदि आप तीनों स्वतंत्र प्रणालियों की भूमिकाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमसे ‘अक्षमता अधिकारों को साकार करना’ पत्रक का आग्रह करें

यह पत्रक ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध है।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

मुफ्त फोन: 0800 802 602

www.ombudsman.parliament.nz

ईमेलरू
info@ombudsman.parliament.nz

डाक पतारू
PO Box 10152, Wellington 6143

फैक्सरू
(04) 471 2254

कार्यालय पूछताछरू
8:30 बजे सुबह से 5:00 बजे षाम तक सोमवार से षुक्रवार

वेलिंगटन
लेवल 14, 70 दि टैरेस, वेलिंगटन, 6143

ऑकलैण्ड
लेवल 10, 55-65 षार्टलैण्ड स्ट्रीट, ऑकलैण्ड 1010

क्रॉइस्टचर्च
545 वाइराकेई रोड, हेयरवुड, क्रॉइस्टचर्च 8053